



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2004/माघ 20, 1925

No. 36]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2004/MAGHA 20, 1925

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2004

विषय : राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003

फा.सं. 6-15/98-सी.डब्ल्यू.—यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा भूखा, निरक्षर या बीमार न रहे—बच्चों के कल्याणार्थ अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए राष्ट्रीय बाल चार्टर के अंगीकरण का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। विचार-विमर्श के पश्चात् सरकार ने निम्न रूप में प्रतिपादित राष्ट्रीय बाल चार्टर को अंगीकृत करने का निर्णय लिया है:

राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003

भारत के संविधान के भाग III तथा IV में बच्चों के हितों का स्पष्ट रूप से उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है :-

राज्य बच्चों के हित में विशेष प्रावधान कर सकता है, [धारा 15 (3)]

राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, (धारा 21-क)

14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान अथवा अन्य किसी जोखिम पूर्ण कार्य में नियुक्त न किया जाए, (धारा-24)

बच्चों की सुकुमार आयु का शोषण न किया जाए तथा नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के आधार पर किसी ऐसे कार्य को करने के लिए विवश न किया जाए जो उनके स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य के प्रतिकूल हो, (धारा 39 ड.) तथा

बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान किए जाएं तथा स्वतंत्रता एवं गरिमा की परिस्थितियों का सृजन किया जाए तथा युवकों को शोषण एवं नैतिक एवं भौतिक स्वच्छन्दता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाए, (धारा 39 च)

राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के प्रयास करेगा, (धारा-45)

6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना प्रत्येक अभिभावक या माता-पिता का मौलिक दायित्व है, (धारा-51 क)

राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 के अंतर्गत हम बच्चों के जन्म से पूर्व तथा जन्म के पश्चात् एवं विकास की अवधि के दौरान पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि उनका सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके,

हम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं राज्य, नागरिक समाज, समुदाय तथा परिवार को बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने दायित्वों के रूप में मिलकर बच्चों के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए,

हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हालांकि राज्य, समाज, समुदाय तथा परिवार का बच्चों के प्रति दायित्व होता है लेकिन इन दायित्वों को बच्चों के कर्तव्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और बच्चों में अच्छे मूल्यों का संचार करना चाहिए, जिनसे परिवार, समाज तथा राष्ट्र के सुदृढीकरण में सहायता मिले,

तथा हमारा यह विश्वास है कि बच्चे को सम्मान देकर समाज स्वयं को सम्मानित करता है,

अतैव, अब अभिशासन की राष्ट्रीय कार्यसूची में विहित शपथ के अनुसरण में हम निम्नलिखित राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003 की घोषणा करते हैं :

इस चार्टर के पीछे हमारा उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बच्चा होने तथा एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन जीने का उसका जन्मसिद्ध अधिकार दिलाना, बच्चे के स्वस्थ विकास और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मूल कारणों का निवारण करना तथा परिवार, समाज और राष्ट्र को सुदृढ बनाते हुए बच्चों की सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा के लिए व्यापक सामाजिक संदर्भ में समुदाय की संचेतना को जागृत करना है ।

उत्तरजीविता, जीवन और स्वतंत्रता

1.(क). राज्य तथा समुदाय मिलकर संयुक्त रूप से सभी यथा सम्भव प्रयास करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की सभी बच्चों की उत्तरजीविता, जीवन तथा स्वतंत्रता सुरक्षित है ।

(ख). विशेष रूप से राज्य तथा समुदाय सभी उपयुक्त प्रयास करेंगे, ताकि विशेषकर बालिका शिशु हत्या तथा बालिका भ्रूण हत्या की समस्या और अन्य सभी ऐसी कुरीतियों से निपटा जा सके, जो बालिका को गरिमा से जीवन जीने के उसके अधिकार से वंचित करती हैं ।

स्वास्थ्य एवं पोषण के उच्च मानकों का संवर्धन

2.(क). राज्य यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चे स्वास्थ्य का उच्चतम मानक प्राप्त करें तथा इस प्रयोजनार्थ उन्हें सभी प्रकार की सुरक्षात्मक एवं संरक्षात्मक सुविधाएं सभी स्तरों पर उपलब्ध कराई जाएं, जिनमें सभी बच्चों का टीकाकरण और उनमें अल्प पोषक तत्वों की कमी का निवारण भी शामिल हो ।

(ख). राज्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य तथा विशेषज्ञ देखभाल एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

(ग). राज्य माताओं को प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोपरान्त पर्याप्त देखभाल सहित परिहार्य बीमारियों के विरुद्ध रोग-प्रतिरोधन एवं टीकाकरण सेवाएं उपलब्ध कराएगा ।

(घ). राज्य राष्ट्रीय योजना में यह प्रावधान करे कि सभी बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जाएगा ।

(ङ). राज्य बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले सभी कारकों से उनकी सुरक्षा करेगा ।

3. राज्य समाज के निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए पर्याप्त पूरक पोषाहार उपलब्ध कराएगा तथा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं तथा सुरक्षा का आश्वासन

4 (क). राज्य प्रत्येक बच्चे को उसकी सम्पूर्ण मनीषा तक विकसित होने के लिए प्रत्येक बच्चे की बुनियादी न्यूनतम सेवा पूरी करने को मान्यता प्रदान करता है ।

(ख). उक्त तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य समुदाय के सहयोग से बच्चों विशेष रूप से परित्यक्त तथा निराश्रित बच्चों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा ।

(ग). राज्य तथा समुदाय उन मौलिक कारणों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे जिनके परिणाम-स्वरूप बच्चों को निराश्रित जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है तथा राज्य एवं समुदाय बच्चों के लिए आश्रय, शिक्षा, पोषाहार तथा मनोरंजन के रूप में अवसंरचना तथा भौतिक सहायता प्रदान करेंगे ।

खेल तथा विश्राम

5. राज्य तथा समुदाय सभी बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए खेल एवं विश्राम के अधिकार को स्वीकार करें एवं सभी आयु वर्ग एवं सामाजिक वर्गों के बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं तथा सेवाएं सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराएं ।

उत्तरजीवित, वृद्धि एवं विकास हेतु प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल

6. (क) राज्य समुदाय के सहयोग से सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा एवं ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा जो बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि की गति को तीव्र करने में सहायक हों ।

(ख) राज्य समुदाय के सहयोग से प्रत्येक गांव में बाल देखभाल केन्द्र उपलब्ध कराएगा, जिनमें कामकाजी माताओं के शिशुओं तथा बच्चों की पर्याप्त देखभाल की जा सके ।

(ग) राज्य समाज के सीमांत वर्ग और अनुसूचित जाति/जनजातियों के बच्चों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास करेगा ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

7. (क) राज्य सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच को स्वीकार करता है । प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएं कि समाज के वंचित वर्गों के बच्चे स्कूलों में प्रवेश लें, अपना अध्ययन जारी रखें तथा स्कूली शिक्षा में भाग लें ।

(ख) माध्यमिक स्तर पर, राज्य शिक्षा तक सब की पहुंच को सुलभ बनाएगा तथा वंचित वर्गों को सहायक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

(ग) राज्य समुदाय की भागीदारी से यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शैक्षणिक संस्थान कारगर रूप से कार्य करें तथा वे सार्वभौमिक नामांकन, सबके द्वारा अध्ययन जारी रखने, भागीदारी तथा उपलब्धियों के लिए सक्षम हों ।

(घ) राज्य और समुदाय इस बात को मान्यता देते हैं कि बच्चे को उसकी मातृ भाषा में शिक्षा प्रदान की जाय ।

(ङ) राज्य यह भी सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा बालोन्मुख एवं सार्थक हो । इस दिशा में भी उपयुक्त प्रयास किए जायेंगे कि शिक्षा बालिकाओं के स्वस्थ विकास तथा विभिन्न प्रकार के बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील हो ।

(च) राज्य सुनिश्चित करेगा कि स्कूल के अनुशासन और तत्संबंधी मामलों से किसी भी बच्चे की शारीरिक, मानसिक व मनःस्थिति को क्षति अथवा आघात न पहुंचे ।

(छ) राज्य प्रतिभाशाली बच्चों का उनके उत्कृष्टता वाले क्षेत्रों में विकास करने हेतु उनका पता लगाने, अभिनिर्धारित, प्रोत्साहित व सहायता करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाएगा ।

आर्थिक शोषण तथा सभी प्रकार के दुरुपयोग से सुरक्षा

8. (क) राज्य बच्चों की आर्थिक शोषण तथा उनकी बेहतरी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जोखिम पूर्ण कार्यों के निष्पादन से उनकी सुरक्षा करेगा ।

(ख) राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ बच्चे कार्य करते हैं वहाँ प्रक्रिया तथा व्यवसाय में कार्य की उपयुक्त परिस्थितियों का विनियमन किया जाता है तथा कार्य जोखिम पूर्ण प्रकृति के नहीं हैं और बालाधिकारों की सुरक्षा की जाती है ।

(ग) राज्य सभी प्रकार के बाल-श्रम के पूर्ण निषेध के प्रयास करेगा ।

9. (क) सभी बच्चों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार, चोट, अवैध व्यापार, सभी प्रकार के यौन एवं शारीरिक शोषण, शारीरिक दण्ड, संत्रास, शोषण, हिंसा तथा अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण का अधिकार है ।

(ख) राज्य उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा जो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, भले ही वे बच्चों के कानूनी अभिभावक ही क्यों न हों ।

(ग) बच्चे की गरिमा तथा निजीत्व को स्वीकारते हुए राज्य समुदाय की भागीदारी से इस प्रकार के कार्यों का पता लगाने, इनके बारे में बताने, संदर्भ, जांच तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु तंत्र स्थापित करेगा ।

(घ) राज्य, समुदाय के सहयोग से पीड़ित बच्चों के अभिनिर्धारण, देखभाल, सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि वे शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सामान्य हो जाएं और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं ।

10. (क) राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई करेगा कि बच्चों का उपयोग किसी गैर-कानूनी कार्य, जैसे बेहोश करने वाली दवाओं और मनश्चिकित्सा औषधियों के विपणन, भिक्षाटन, वेश्यावृत्ति, अश्लील साहित्य अथवा हिंसा में न किया जाए । राज्य समुदाय के सहयोग से यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के बच्चों को छुड़ाया जाए तथा तत्काल उपयुक्त देखभाल एवं संरक्षण में रखा जाए ।

(ख) राज्य एवं समुदाय तंगहाली में रह रहे बच्चों के कल्याण व सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करेंगे ।

(ग) राज्य और समुदाय प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप से बच्चों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे ।

बालिकाओं का संरक्षण

11. (क) राज्य तथा समुदाय यह सुनिश्चित करेंगे कि बालिकाओं के प्रति किए जा रहे अत्याचार और अपराध, जिनमें बाल-विवाह, भेदभावमूलक प्रथाएं बालिकाओं को वेश्यावृत्ति तथा अवैध व्यापार के लिए विवश करना शामिल हैं, को शीघ्र समाप्त किया जाए ।

(ख) राज्य समुदाय के सहयोग से इस आशय के सामाजिक, शैक्षणिक तथा कानूनी उपाय करेगा जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बालिका को परिवार व समाज में अधिक सम्मान दिया जाएगा ।

(ग) राज्य इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाएगा कि बाल-विवाह को शीघ्रता से समाप्त किया जाए ।

किशोर-किशोरियों को सशक्त बनाना

12. राज्य और समुदाय किशोर बच्चों को आवश्यक शिक्षा व कौशल प्रदान करने के लिए सभी उपाय करेंगे, ताकि वे आर्थिक रूप से उत्पादनशील नागरिक बन सकें ।-किशोर बालिका की स्वास्थ्य व पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ।

समानता, अभिव्यक्ति, सूचना प्राप्त करने/पता लगाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने तथा शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता

13. राज्य तथा समुदाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चों के साथ उनकी अथवा उनके माता-पिता अथवा कानूनी माता-पिता/अभिभावक की जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक अथवा अन्य मत, राष्ट्रीय, प्रजातीय अथवा सामाजिक मूल, विकलांगता, जन्म, राजनैतिक स्थिति या अन्य किसी कारण से भेदभाव किए बिना समान व्यवहार किया जाए ।

14. सभी बच्चों को अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने, जिसमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति भी शामिल है, के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे ।

15. (क) प्रत्येक बच्चे को सूचना तथा मत मांगने व प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए । राज्य तथा समुदाय बच्चों को ऐसी सूचना प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जो बच्चे के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है ।

(ख) राज्य तथा समुदाय इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करेंगे कि बच्चों की भाषा संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए तथा बच्चों के लिए उपयोगी सूचना तथा विभिन्न प्रकार की सामग्री के उत्पादन तथा प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित किया जाये ।

(ग) राज्य तथा समुदाय जन-संचार के लिए दिशा-निर्देशों के निरूपण के लिए उत्तरदायी होंगे, ताकि बच्चों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके एवं उन्हें भौतिक क्षति से सुरक्षित रखा जा सके ।

16. सभी बच्चों को उचित प्रतिबंधों तथा सामाजिक व पारिवारिक मूल्यों के अध्यधीन एकत्र होने तथा शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता होगी ।

परिवार सुदृढीकरण

17. (क) प्रत्येक बच्चे को परिवार में रहने का अधिकार है । बच्चों के अपने परिवार से बिछुड़ जाने की स्थिति में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को अपने माता-पिता से पुनः मिलाने को प्राथमिकता प्रदान की जाए । ऐसे मामलों में, जहाँ बच्चों को परिवार के साथ पुनः मिलाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ बच्चे के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य तत्काल वैकल्पिक उपाय करेगा ।

(ख) सभी बच्चों को यह अधिकार है कि वे अपने परिवारों से सम्पर्क बनाए रखें, भले ही उनके परिजन विभिन्न कारणों से राज्य अभिरक्षा में हों ।

(ग) राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगा कि ऐसे बच्चे, जिनका कोई परिवार नहीं है, उन्हें दत्तक ग्रहण द्वारा, अधिमानतः, देश में ही दत्तक ग्रहण द्वारा पुनर्वासित किया जाए अथवा इनका पोषण एवं देखभाल की जाए अथवा परिवार के विकल्प स्वरूप अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

(घ) राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों के हित में इन सेवाओं के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त नियम बनाए जायें तथा इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक निकायों की स्थापना की जाये ।

(ङ.) सभी बच्चों को अभिरक्षा में अपने अभिभावकों तथा परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने का अधिकार होगा ।

माता-पिता के दायित्व

18. राज्य बच्चों के पालन-पोषण में माता-पिता के सामान्य दायित्वों को मान्यता प्रदान करता है ।

विकलांग बच्चों का संरक्षण

19. (क) राज्य तथा समुदाय इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सभी विकलांग बच्चों को अपना सम्पूर्ण जीवन सम्मान तथा गरिमा के साथ जीने में सहायता प्रदान की जाये । विकलांग बच्चों को

समाज की मुख्य धारा में शामिल करने तथा जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सभी संभव उपाय किये जाएंगे ।

(ख) राज्य और समुदाय बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास तथा मनोरंजन के लिए इस प्रकार व्यवस्था करेंगे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास तथा वृद्धि हो ।

(ग) राज्य और समुदाय विकलांगताओं के विरुद्ध तथा विकलांगताओं का प्रारम्भिक चरण में पता लगाने से संबंधित निवारक कार्यक्रम चलाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे परिवार, जिनके बच्चे विकलांग हैं, उन्हें अपने बच्चों के पालन-पोषण हेतु पर्याप्त सहायता तथा समर्थन मिल सके ।

(घ) राज्य विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के निवारण, उपचार तथा पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करेगा ।

सीमान्त तथा वंचित समुदायों के बच्चों की देखभाल, संरक्षण व कल्याण

20. राज्य तथा समुदाय सीमान्त तथा वंचित समुदायों के सभी बच्चों की देखभाल, संरक्षण व कल्याण को सुनिश्चित करेंगे, उनकी पहचान को बनाये रखने में सहायता करेंगे और उनके हितों को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को प्रोत्साहित करेंगे ।

21. राज्य इस तथ्य को स्वीकार करता है कि समाज के वंचित समुदायों, कमजोर एवं उपक्षित वर्गों के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा सहायक सेवाओं जैसे सभी मामलों में विशेष सहायक कार्यक्रमों की आवश्यकता है । राज्य सभी नीतियों तथा कार्यक्रमों में इन समूहों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा ।

बच्चों के अनुकूल कार्यविधियां सुनिश्चित करना

22. बच्चों से संबंधित सभी मामले तथा कार्यविधियां यथा, न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षिक अथवा सामाजिक बच्चों के अनुकूल होंगी । कानूनों का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा विशेष देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए किशोर अपराध न्याय प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित सभी कार्यविधियां भी बच्चों के अनुकूल होंगी ।

कस्तूरी गुप्ता मेनन, सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Women and Child Development)****RESOLUTION**

New Delhi, the 9th February, 2004

Subject : National Charter for Children, 2003

F. No. 6-15/98-CW.—The Government of India have had for consideration the question of adopting a National Charter for Children to reiterate its commitment to the cause of the children in order to see that no child remains hungry, illiterate or sick. After the consideration, it has been decided to adopt the National Charter for Children enunciated below :—

National Charter for Children, 2003

Whereas the Constitution of India enshrines both in Part III and IV the cause and the best interest of children, insofar that:

The State can make special provisions for children, (Art 15 (3))

The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years, (Art 21.A)

No child below the age of 14 years shall be employed to work in a factory, mine or any other hazardous employment, (Art. 24)

The tender age of children is not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength (Art. 39 e), and that

Children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment (Art. 39 f),

The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years, (Art. 45)

Whereas it is a Fundamental Duty of a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward between the age of six and fourteen year, (Art. 51A)

Whereas through the National Policy for Children, 1974, we are committed to providing for adequate services to children, both before and after birth and throughout the period of growth, to ensure their full physical, mental and social development,

Whereas we affirm that the best interest of children must be protected through combined action of the State, civil society, communities and families in their obligations in fulfilling children's basic needs,

Whereas we also affirm that while State, Society, Community and Family have obligations towards children, these must be viewed in the context of intrinsic and attendant duties of children and inculcating in children a sound sense of values directed towards preserving and strengthening the Family, Society and the Nation.

And whereas we believe that by respecting the child, society is respecting itself,

Now, therefore, in accordance with our pledge in the National Agenda of Governance, the following National Charter for Children, 2003 is announced.

Underlying this Charter is our intent to secure for every child its inherent right to be a child and enjoy a healthy and happy childhood, to address the root causes that negate the healthy growth and development of children, and to awaken the conscience of the community in the wider societal context to protect children from all forms of abuse, while strengthening the family, society and the Nation.

Survival, Life and Liberty

1.a. The State and community shall undertake all possible measures to ensure and protect the survival, life and liberty of all children.

b. In particular, the State and community will undertake all appropriate measures to address the problems of infanticide and foeticide, especially of female child and all other emerging manifestations that deprive the girl child of her right to survive with dignity.

Promoting High Standards of Health and Nutrition

2.a. The State shall take measures to ensure that all children enjoy the highest attainable standards of health, and provide for preventive and curative facilities at all levels especially immunisation and prevention of micronutrient deficiencies for all children.

b. The State shall take measures to cover, under primary health facilities and specialised care and treatment, all children of families below the poverty line.

c. The State shall take measures to provide adequate pre-natal and post-natal care for mothers along with immunization against preventable diseases.

- d. The State shall undertake measures to provide for a national plan that will ensure that the mental health of all children is protected.
- e. The State shall take steps to ensure protection of children from all practices that are likely to harm the child's physical and mental health.
3. The State shall take steps to provide all children from families below the poverty line with adequate supplementary nutrition and undertake adequate measures for ensuring access to safe drinking water and environmental sanitation and hygiene.

Assuring Basic Minimum Needs and Security

4. a. The State recognizes that the basic minimum needs of every child must be met, that foster full development of the child's faculties
- b. In order to ensure this, the State shall in partnership with the community provide social security for children, especially for abandoned children and street children.
- c. State and community shall try and remove the fundamental causes which result in abandoned children and children living on streets, and provide infrastructural and material support by way of shelter, education, nutrition and recreation.

Play and Leisure

5. The State and community shall recognise that all children require adequate play and leisure for their healthy development and must ensure means to provide for recreational facilities and services for children of all ages and social groups.

Early Childhood Care for Survival, Growth and Development

6. a. The State shall in partnership with the community provide early childhood care for all children and encourage programmes which will stimulate and develop their physical and cognitive capacities.
- b. The State shall in partnership with the community aim at providing a child care centre in every village where infants and children of working mothers can be adequately cared for.
- c. The State will make special efforts to provide these facilities to children from SCs/STs and marginalised sections of society.

Free and Compulsory Primary Education

7. a. The State recognises that all children shall have access to free and compulsory education. Education at the elementary level shall be provided free of cost and special incentives should be provided to ensure that children from disadvantaged social groups are enrolled, retained and participate in schooling.

- b. At the secondary level, the State shall provide access to education for all and provide supportive facilities from the disadvantaged groups.
- c. The State shall in partnership with the community ensure that all the educational institutions function efficiently and are able to reach universal enrolment, universal retention, universal participation and universal achievement.
- d. The State and community recognise that a child be educated in its mother tongue.
- e. The State shall ensure that education is child-oriented and meaningful. It shall also take appropriate measures to ensure that education is sensitive to the healthy development of the girl child and to children of varied cultural backgrounds.
- f. The State shall ensure that school discipline and matters related thereto do not result in physical, mental, psychological harm or trauma to the child.
- g. The State shall formulate special programmes to spot, identify, encourage and assist the gifted children for their development in the field of their excellence.

Protection from Economic Exploitation and All Forms of Abuse

- 8.a. The State shall provide protection to children from economic exploitation and from performing tasks that are hazardous to their well-being.
- b. The State shall ensure that there is appropriate regulation of conditions of work in occupations and processes where children perform work of a non-hazardous nature and that their rights are protected.
- c. The State shall move towards a total ban of all forms of child labour.
9. a. All children have a right to be protected against neglect, maltreatment, injury, trafficking, sexual and physical abuse of all kinds, corporal punishment, torture, exploitation, violence and degrading treatment.
- b. The State shall take legal action against those committing such violations against children even if they be legal guardians of such children.
- c. The State shall in partnership with the community set up mechanisms for identification, reporting, referral, investigation and follow-up of such acts, while respecting the dignity and privacy of the child.

d. The State shall in partnership with the community take up steps to draw up plans for the identification, care, protection, counselling and rehabilitation of child victims and ensure that they are able to recover, physically, socially and psychologically, and re-integrate into society.

10.a The State shall take strict measures to ensure that children are not used in the conduct of any illegal activity, namely, trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, begging, prostitution, pornography or violence. The State in partnership with the community shall ensure that such children are rescued and immediately placed under appropriate care and protection.

b. The State and community shall ensure protection of children in distress for their welfare and all round development.

c. The State and community shall ensure protection of children during the occurrence of natural calamities in their best interest.

Protection of the Girl Child

11. a. The State and community shall ensure that crimes and atrocities committed against the girl child, including child marriage, discriminatory practices, forcing girls into prostitution and trafficking are speedily eradicated.

b. The State shall in partnership with the community undertake measures, including social, educational and legal, to ensure that there is greater respect for the girl child in the family and society.

c. The State shall take serious measures to ensure that the practice of child marriage is speedily abolished.

Empowering Adolescents

12. The State and community shall take all steps to provide the necessary education and skills to adolescent children so as to equip them to become economically productive citizens. Special programmes will be undertaken to improve the health and nutritional status of the adolescent girl.

Equality, Freedom of Expression, Freedom to Seek and Receive Information, Freedom of Association and Peaceful Assembly

13. The State and community shall ensure that all children are treated equally without discrimination on grounds of the child's or the child's parents' or legal guardian's race, colour, caste, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, disability, birth, political status, or any other consideration.

14 All children shall be given every opportunity for all round development of their personality, including expression of creativity.

15a. Every child shall have the freedom to seek and receive information and ideas. The State and community shall provide opportunities for the child to access information that will contribute to the child's development.

b. The State and community shall undertake special measures to ensure that the linguistic needs of children are taken care of and encourage the production and dissemination of child-friendly information and material in various forms.

c. The State and community shall be responsible for formulating guidelines for the mass media in order to ensure that children are protected from material injuries to their well-being.

16 All children shall enjoy freedom of association and peaceful assembly, subject to reasonable restrictions and in conformity with social and family values.

Strengthening Family

17 a. Every child has a right to a family. In case of separation of children from their families, the State shall ensure that priority is given to re-unifying the child with its parents. In cases where the State perceives adverse impact of such a re-unification, the State shall make alternate arrangements immediately, keeping in mind the best interests and the views of the child.

b. All children have a right to maintain contact with their families, even when they are within the custody of the State for various reasons.

c. The State shall undertake measures to ensure that children without families are either placed for adoption, preferably intra-country adoption, or foster care or any other family substitute services.

d. The State shall ensure that appropriate rules with respect to the implementation of such services are drafted in a manner that are in the best interest of the child and that regulatory bodies are set up to ensure the strict enforcement of these rules.

e. All children shall have the right to meet their parents and other family members who may be in custody.

Responsibilities of Both Parents

18. The State recognises the common responsibilities of both parents in rearing their children.

Protection of Children with Disabilities

19. a. The State and community recognise that all children with disabilities must be helped to lead a full life with dignity and respect. All measures would be undertaken to ensure that children with disabilities are encouraged to be integrated into the mainstream society and actively participate in all walks of life.

- b. State and community shall also provide for their education, training, health care, rehabilitation, recreation in a manner that will contribute to their overall growth and development.
- c. State and community shall launch preventive programmes against disabilities and early detection of disabilities so as to ensure that the families with disabled children receive adequate support and assistance in bringing up their children.
- d. The State shall encourage research and development in the field of prevention, treatment and rehabilitation of various forms of disabilities.

Care, Protection, Welfare of Children of Marginalized and Disadvantaged Communities.

20. The State and community shall provide care, protect and ensure the welfare of children from marginalized and disadvantaged communities, support them in preserving their identity, and encourage them to adopt practises that promote their best interest.

21. The State recognises that children from disadvantaged communities and weaker / vulnerable sections of the society are in need of special interventions and support in all matters pertaining to education, health, recreation and supportive services. It shall make adequate provisions for providing such groups with special attention in all its policies and programmes.

Ensuring Child Friendly Procedures

22. All matters and procedures relating to children, viz. judicial, administrative, educational or social, should be child friendly. All procedures laid down under the juvenile justice system for children in conflict with law and for children in need of special care and protection shall also be child-friendly.

KASTURI GUPTA MENON, Secy.